(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव बनाम श्री चोथमल अग्रवाल पुत्र पुष्कर लाल

किस्म मुकदमा FSSA एक्ट 2006 नं. 17 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2022 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
28/6/22	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा पेश जबाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है, कि उसने छावनी बाजार, झुन्झुनू में मै0 पुष्कर लाल चोथमल, के नाम से फर्म कर रखी है जहां पैक्ड खाद्य सामग्री के साथ चाय (खुश्बू गोल्ड) भी बेचता है। इस पैक्ड खाद्य सामग्री में लिखावट में बैच नम्बर की मोहर सही नही लग पाई थी। इसमें उसने कोई मिलावट नही की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./348/एक्ट/2022/433/दिनांक 16.02.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (खुश्बू गोल्ड) मिसब्रान्ड (**Misbranded Food**) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.ए की धारा 3 (1) (zf) (C) (i) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 पुष्कर लाल चोथमल में खाद्य पदार्थ चाय (खुश्बू गोल्ड) का बेचान करता है अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ चाय (खुश्बू गोल्ड) मिसब्रान्ड (**Misbranded Food**) पाये जाने [illegible] प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री चोथमल [illegible] पुत्र पुष्कर लाल, मै0 पुष्कर लाल चोथमल, छावनी बाजार [illegible] झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का दोषी मान [illegible] प्रकरण में अनावेदक को 20,000/- बीस हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की	चोथमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:53:01 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

अति. जिला कलक्टर झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:53:01 IST
Reason: SelfAttested